



Neutral Citation-2026: AHC:13392

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 297 / 2026

साहब सिंहयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राज कुमार वैश्य

प्रतिवादियों के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. बिलासपुर, जिला रामपुर के सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में 07.07.2025 को पारित आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

2. उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 में दी गई तीसरी अनुसूची के अनुसार, उक्त आदेश के विरुद्ध पहली अपील मंडल के आयुक्त के समक्ष और उसके बाद दूसरी अपील राजस्व न्यायालय के समक्ष की जा सकेगी। चूंकि याचिकाकर्ता के पास अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

3. इस समय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि इस रिट याचिका को 'आगे न बढ़ाने' के आधार पर खारिज कर दिया जाए, और उन्हें अपीलीय मंच के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।

4. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह रिट याचिका, प्रार्थना के अनुसार, 'आगे न बढ़ाने' के आधार पर खारिज की जाती है, और अपील दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

20 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"